हि.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 02.07.2025 मेसर्स, भरली रुदाना लाइम स्टोन माइन, परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक चावला निवासी माकन नंबर 7-A हरिद्वार रोड़ देहरादून, उत्तराखंड द्वारा खसरा नंबर - 665/2/1 एवं 636/2/1 (नया खसरा नंबर 803/665/2 एवं 801/636/2), कुल क्षेत्रफल 2.623 हेक्टेयर, निर्धारित उत्पादन क्षमता 41,587.50 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (निजी भूमि), ग्राम - भरली-रूदाना, तहसील - पांवटा साहिब, जिला - सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) से चूना पत्थर खदान (Lime Stone mine) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हि.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 02.07.2025 मेसर्स, भरली रुदाना लाइम स्टोन माइन, परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक चावला निवासी माकन नंबर 7-A हरिद्वार रोड देहरादून, उत्तराखंड द्वारा खसरा नंबर - 665/2/1 एवं 636/2/1 (नया खसरा नंबर 803/665/2 एवं 801/636/2), कुल क्षेत्रफल 2.623 हेक्टेयर, निर्धारित उत्पादन क्षमता 41,587.50 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (निजी भूमि), ग्राम - भरली-रूदाना, तहसील - पांवटा साहिब, जिला - सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) से चूना पत्थर खदान (Lime Stone mine) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का आयोजन गांव शिवा के पंचायत भवन तहसील पांवटा साहिब , जिला सिरमौर , हिमाचल प्रदेश में संपन्न किया गया । जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या: एस.ओ. 1533 (अ) दिनांक 14-09-2006 के नियमानुसार माननीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता मे किया गया। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि **अनुलग्नक- ।** में उपलब्ध है।

सर्वप्रथम हि.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पांवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जन सुनवाई की पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जन समूह को अवगत कराया गया तथा पर्यावरण जन सुनवाई के अध्यक्ष की अनुमति से पर्यावरण जन सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई ।

इसके बाद, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पांवटा साहिब ने परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एन.एस. एनवायरो-टेक लैबोरेटरीज एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर राजस्थान के सलाहकार से प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी जनता को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। सलाहकार द्वारा जनता को प्रस्तावित खनन पट्टा परियोजना की प्रस्तुति के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विवरण दिए जाने के बाद, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पांवटा साहिब ने पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित लोगों से बिना किसी भय और किसी भी पक्ष के दवाव के, प्रस्तावित खनन परियोजना पर अपने विचार, टिप्पणियां, सुझाव और आपत्ति व्यक्त करने के लिए कहा।

जन सुनवाई की वीडियोग्राफी भी की गई। तदनुसार, पर्यावरण जन सुनवाई की कार्यवाही रिकॉर्ड की गई और उसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

क्रमांक	नाम और पता	उठाया गया मुद्दा	उठाए गए मुद्दों पर उत्तर/टिप्पणी
1.	श्री शांति स्वरूप, गांव रूदाना से	कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना में कितने लोगों को रोजगार दिया जायेगा ?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की 13 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त लोगों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार पर रखा जायेगा ।
2.	श्री राजेश कुमार गांव सुनोग से	कहा गया कि क्या प्रस्तावित माइनिंग प्रोजेक्ट से पानी , सड़क व स्वास्थय सुविधाएँ सुधरेंगी ? कृप्या बताएं।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की पानी व सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को ठीक करने में मदद की जाएगी।
3.	श्री पंच राम परमार , शिवा गांव से	C.S. R. की गतिविधियों में क्या क्या प्रस्तावित किया गया है?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की 4 सोलर लाइट , 1 प्लास्टिक श्रेडर मशीन , 1 बैलिंग मशीन व 50,000 रुपये की राशि स्थानीय पंचायत को प्रतिवर्ष दी जाएगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्कूल में टॉयलेट निर्माण व फर्नीचर के लिए मदद की जाएगी व जरूरतमंद बच्चों को स्कूल की वर्दी व किताबें प्रदान की जाएँगी।
4.	श्रीमती बबिता देवी, प्रधान शिवा पंचायत	स्थानीय युवाओं को नशे के प्रति जागरूकता व कौशल विकास के लिए क्या किया जायेगा?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की स्थानीय युवाओं के कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किये जायेंगे।
5.	श्री नरेन्दर परमार , शिवा गांव से	बताया गया की स्वास्थय सुविधाओं की कमी है व इसके लिए क्या किया जायेगा ? सड़क से धूल मिट्टी की समस्या है। इसके रख रखाव	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की प्रतिवर्ष 2 कैम्पस का आयोजन किया जायेगा । स्वास्थ्य सुविधा हेतू आपातकालीन वाहन की व्यवस्था की जाएगी। धूल मिट्टी को

		के लिए क्या किया जायेगा?	रोकने के लिए सड़क पर पानी के टैंकर्स के द्वारा पानी का छिड़काव किया जायेगा। बरसात के मौसम में मशीन की व्यवस्था की जाएगी ताकि सड़क का रख रखाव किया जा सके।
6.	श्री अनिल चौहान, सुनोग गांव से	पूछा गया की ठेकेदारों व ट्रांसपोर्टर्स के लिए क्या किया जायेगा ?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की स्थानीय ठेकेदारों व ट्रांसपोर्टरोंको ही रखा जायेगा।
7.	श्री अमर सिंह चौहान, गांव शिवा से	पटवार खाने में सुविधाओं जैसे की फर्नीचर इतियादी का आभाव है ? क्या आप इसके लिए कुछ उचित प्रबंध करा सकते हैं ?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की पटवारखाने के लिए पहले भी सहयोग किया गया है व आगे भी क्षमता अनुसार सहयोग किया जायेगा।
8.	श्रीमती बबिता देवी, प्रधान शिवा पंचायत	अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी महोदय से प्रार्थना की गयी की कृपया उपायुक्त महोदय पटवारखाने के लिए उचित धनराशि मुहैया कराएं। तथा जब DMFT की राशि आबंटित की जाती है तो कृपया पटवारखाने के लिए भी उस राशि में से कुछ राशि प्रदान की जाये ताकि पटवारखाने की हालत में सुधार किया जा सके।	
9.	श्री सुरेंदर सिंह, भरली गांव से	हमें किसी माइनिंग गतिविधि से कोई आपत्ति नहीं है। रोड पर चलने वाले वाहनों से बहुत धुल मिट्टी उड़ती है। हमारी निजी भूमि में धूल मिट्टी से फसलें ख़राब हो रही हैं। पूर्व में शिकायत भी की गयी तो पाया गया की पानी का टैंकर नाम मात्र के लिए रखा गया है। पानी के टैंकर्स द्वारा समय पर पानी का छिड़काव नहीं किया	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की यह सुनिचित किया जायेगा की सड़क पर समय समय पर पानी का छिड़काव किया हो। पानी के टैंकर्स की डाटा शीट तैयार की जाएगी व सुनिश्चित किया जायेगा की समय समय पर पानी का छिड़काव हो।

		जा रहा है। जब इस विषय में शिकायत की जाती है तो सिर्फ आश्वाशन दिया जाता है पर धरातल पर कुछ नहीं किया जाता है। इस समस्या का उचित समाधान किया जाये।	
10.	श्री राजेश कुमार गांव सुनोग से	यदि सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिए कुछ किया जा सकता है तो इसके बारे में जानकारी दें।	सिंचाई के पानी की व्यवस्था तो नहीं की जा सकती है लेकिन पीने के पानी के लिए झरने हैं व अगर माइनिंग पिट्स में पानी इक्कठा हो जाता है तो उसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रुदाना गांव से ट्यूबवेल द्वारा पानी की सप्लाई ली जाएगी और टैंकर्स के द्वारा पानी पहुँचाया जायेगा।
11.	श्रीमती बबिता देवी, प्रधान शिवा पंचायत	अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी महोदय को बताया गया की पीने के पानी की समस्या है । झरनो का पानी पिने लायक नहीं है पर उसको छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।	

माननीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया की जो भी विचार , आपत्तियां या टिप्पणियां जन सुनवाई में रखी गयी हैं उन्हें यथास्तिथि आगे मंत्रालय में आगामी कार्यवाही हेतू भेजा जायेगा।

सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही के दौरान किसी भी सुझाव, विचार, टिप्पणी या आपत्ति की लिखित समीक्षा नहीं की गई।

पर्यावरण जन सुनवाई कार्यक्रम में 164 लोग उपस्थित रहे जिनमे से की 8 लोगों ने अपने विचार व सुझाव रखे। सभी लोगों ने लोगों ने प्रस्तावित खनन गतिविधि से सम्बंधित अपने प्रश्न रखे जिसका की परियोजना प्रस्तावक द्वारा विस्तारपूर्वक जवाब दिया गया।

प्रस्तावित खनन गतिविधि से सम्बंधित आपत्ति लिखित रूप में कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पौंटा साहिब में दिनांक 01.07.2025 को दी गयी जिसकी प्रतिलिपि **अनुलग्नक- II** में संलग्न की गई है।

अंत में, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पांवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी इंजीनियर श्री अतुल परमार ने इस पर्यावरणीय जन सुनवाई में भाग लेने के लिए अध्यक्ष महोदय व अन्य सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया।

श्री लायक राम वर्मा
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश